आदेश-पत्रक

(देखें, अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
19/09/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्या :-27/2019** **हरिहर मुखिया वो अन्य.....अपीलकर्त्ता** **बनाम** **बुलाकी मुखिया..... रेसपॉण्डेन्ट** **-: आदेश :-** प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद हरिहर मुखिया व सुरज मुखिया दोनों पिता-स्व0 भजु मुखिया दोनों साकिन-कुनौली, वार्ड सं0-04, पोस्ट व थाना-कुनौली, जिला-सुपौल के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2011 की धारा-14 वो नियमावली-2010 की धारा-23 के अंतर्गत न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली के भूमि विवाद अपील वाद सं0-31/2018-19 में दिनांक 04/09/2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। नोटिस किये जाने के बावजूद विपक्षी के सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय सुनवाई करते हुए तथा विपक्षी, जो निम्न न्यायालय में आवेदक थे, के वादपत्र के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी का मूल रूप से कहना है कि वादगत भूमि मौजा-कुनौली, थाना नं0-01, अंचल-निर्मली, जिला-सुपौल के खाता पुराना-252, खेसरा पुराना-1980, रकबा-6 डी0 भूमि में 5 धूर पूरब से एवं 7 धूर दक्षिण से कुल 12 धूर जिसकी चौहद्दी,	

मुखिया का का बासगीत पर्चा वर्ष 1987–88 में बुलाकी मुखिया पिता– भजु मुखिया के नाम से निर्गत है। उक्त भूमि का बासगीत पर्चा भजु मुखिया ने अपने मंझले पुत्र बुलाकी मुखिया के नाम से संयुक्त परिवार के समय लिया। उक्त बासगीत पर्चा के आधार पर प्राप्त भूमि पर भजु मुखिया के तीनों लड़के आपस में बाँटकर अलग–अलग घर मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगण के बीच ग्राम पंचायत में दिनांक 15.06.2016 को पंचों की उपस्थिति में वादगत भूमि का बँटवारा हुआ, जिसपर पंचगण का भी हस्ताक्षर वो निशान है। उक्त बटवारानामा के आधार पर पर दिनांक–20.08.2017 को अंचलाधिकारी को तीनों भाईयों ने अपना–अपना निशान देकर अलग–अलग जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया। उक्त आवेदन के आलोक में हल्का कर्मचारी के द्वारा दिनांक–18.10.2017 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें भी तीनों भाईयों को अपने–अपने हिस्से पर मकान होना बतलाया गया है। अपीलार्थीगणों का कहना है कि सहमति के आधार पर ग्राम कचहरी के आदेश को चुनौती देने का क्षेत्राधिकार मुन्सिफ न्यायालय को दी गई है, जिसकी अनदेखी कर गलत आदेश पारित किया गया है। उनके अनुसार निम्न न्यायालय के द्वारा ग्राम कचहरी के आदेश एवं अंचल अधिकारी को जमाबंदी अलग–अलग करने हेतु दिये गये आवेदन तथा अपीलार्थीगण के घर–मकान की भूमि के संबंध में राजस्व हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन का संज्ञान लिये बिना गलत आदेश पारित किया गया है। तदालोक में उनके द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि विपक्षी को बासगीत पर्चा से प्राप्त भूमि में हिस्सा हेतु अपीलार्थीगण के द्वारा किये गये दावा का कोई आधार नहीं है। उक्त के आलोक में

की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

19/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

19/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।